

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०कीट०अमा०-22/2014

/कृ० पटना, दिनांक

2014

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

कीटनाशी निरीक्षक (सभी) यथा  
उप निदेशक, पौधा संरक्षण,  
जिला कृषि पदाधिकारी,  
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,  
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी।

विषय : अमानक कीटनाशी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कीटनाशी गुणवत्ता के निर्धारण हेतु आपके द्वारा कीटनाशी नमूना संग्रहण किया जाता है, एवं नमूना अमानक घोषित होने पर आपके द्वारा अभियोजन की स्वीकृति की मांग की जाती है। परन्तु सभी आवश्यक कागजात आपके द्वारा संलग्न नहीं किये जाने के कारण अभियोजन की स्वीकृति में विलम्ब होता है तथा पत्राचार में ही काफी समय बर्बाद हो जाता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि कीटनाशी नमूना अमानक होने पर अभियोजन की स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किया जाय ताकि अभियोजन की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

1. कीटनाशी नमूना संग्रह का प्रपत्र एवं Form-XX की छायाप्रति।
2. कीटनाशी का Invoice की छायाप्रति।
3. SPTL/RPTL में भेजे गये नमूना का अग्रसारण पत्र एवं Form-XXI की छायाप्रति।
4. SPTL/RPTL से प्राप्त विश्लेषण परिणाम की छायाप्रति।
5. अमानक कीटनाशी की सूचना (विश्लेषण परिणाम सहित) प्रतिष्ठान/कम्पनी को दिये जाने की छायाप्रति।
6. अमानक पाये गये कीटनाशी की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी पत्र की छायाप्रति।
7. प्रतिष्ठान से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति।
8. अमानक पाये गये कीटनाशी का शेष बचे स्टॉक का प्रपत्र-XVIII में Seize की छायाप्रति (यदि हो तो)
9. CIL में Retesting हेतु भेजा गया पत्र की छायाप्रति।
10. CIL से प्राप्त विश्लेषण परिणाम की छायाप्रति।
11. CIL से प्राप्त अमानक कीटनाशी की सूचना (विश्लेषण परिणाम सहित) संबंधित प्रतिष्ठान को दिये जाने की छायाप्रति।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-.....

/कृ०, पटना, दिनांक

2014

प्रतिलिपि:- संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-..... 5337

/कृ०, पटना, दिनांक 27-11-2014

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड तथा सभी पदाधिकारियों को ई-मेल करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।